

## उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0- 09/2013-14

कल्याण सुत्रधार ..... आवेदक  
बनाम  
सोना राय ..... विपक्षी

### ॥ आदेश ॥

18/03/2016

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 09/2013-14 कल्याण सुत्रधार बनाम् सोना राय एवं अन्य मौजा मलूटी, अंचल शिकारीपाड़ा के बीच भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका रे0मि0 वाद सं0 222/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2010 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा मलूटी के दाग सं0 1308 सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है जिसमें विपक्षी को 06 डीसमल जमीन की बन्दोबस्ती निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि ....

1. उक्त दाग में पंचायत भवन का निर्माण किया गया है।
2. विपक्षी एक जमीनदार व्यक्ति है।
3. अंचल अधिकारी द्वारा सही प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।
4. इस बन्दोबस्ती पर 16/- रैयतों को आपत्ति है।

उन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा किया गया बन्दोबस्ती रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन परती कदीम बोलकर गत सर्वे में दर्ज है एवं इस पर ग्रामीण रैयतों का अधिकार होता है। विपक्षी मौजा का जमाबन्दी रैयत है। प्रश्नगत जमीन का कुल रकवा 15 डीसमल है। जिसमें 06 डीसमल जमीन विपक्षी के साथ बन्दोबस्ती किया गया है। इस पर किसी भी रैयत का कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। अतः बन्दोबस्ती सही है। उनके द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को जमाबन्दी सं0 262 में 00-01-16 धूर (एक कट्टा 16 धूर) जमीन उनके हिस्से में है। उनके द्वारा उक्त जमीन को बाड़ी के रूप में खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी द्वारा उक्त दाग में कुल रकवा मे से 09(नौ) डीसमल जमीन सरकारी भवन (पंचायत भवन) के लिये सुरक्षित रखते हुए शेष भूमि 06 डीसमल जमीन विपक्षी के साथ बन्दोबस्ती का


अनुशंसा किया गया है एवं इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा उनके साथ उक्त जमीन की बन्दोबस्ती की गई है। साथ ही उक्त जमीन का कुल रकबा के संबंध में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित नहीं है।


इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी मौजा के भूमिहीन श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जिनके हिस्से में मात्र 00-01-16 धूर जमीन है तथा इनके साथ किया गया बन्दोबस्ती पर मौजा के 16/- रैयतों में (सिर्फ आवेदक को छोड़कर) किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि प्रश्नगत जमीन उनके साथ बन्दोबस्ती होना चाहिए जबकि विपक्षी के लिखित ब्यान के अनुसार आवेदक मौजा का जमाबन्दी रैयत नहीं है।

जहाँ आवेदक या विपक्षी के साथ जमीन बन्दोबस्ती का प्रश्न है। विपक्षी के साथ की गई बन्दोबस्ती जमीन पंचायत भवन के लिए सुरक्षित रखी गई, का हिस्सा है अर्थात् एक ही दाग है। पंचायत भवन के लिए मात्र 09 डिसिमिल जमीन सुरक्षित रखी गई है। मौजा मलुटी को ऐतिहासिक धरोहर के रूप विकसित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में सरकारी कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के साथ किया गया बन्दोबस्ती स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

  
उपायुक्त  
दुमका।

  
उपायुक्त  
दुमका।